रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30122025-268929
CG-DL-E-30122025-268929

**असाधारण**
**EXTRAORDINARY**

**भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)**
**PART II—Section 3—Sub-section (i)**

**प्राधिकार से प्रकाशित**
**PUBLISHED BY AUTHORITY**

**सं. 842] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 30, 2025/पौष 9, 1947**
**No. 842] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 30, 2025/PAUSHA 9, 1947**

## वित्त मंत्रालय

## (वित्तीय सेवाएं विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2025

**सा.का.नि. 928(अ).—**भारतीय बीमा कंपनी (विदेशी विनिधान) संशोधन नियम, 2025 का प्रारूप भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (i) संख्यांक सा.का.नि. 591(अ), तारीख 29 अगस्त, 2025 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी लोगों से सुझाव या आक्षेप मांगे गए थे जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना थी; और यह सूचना दी गई थी कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करायी जाती है, पन्द्रह दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

और, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां 29 अगस्त, 2025 को जनता के लिए उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उपर्युक्त प्रारूप नियमों के उत्तर में प्राप्त सुझावों या आपत्तियों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विधिवत विचार किया गया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 के खंड (7क) के उपखंड (ख) के साथ पठित धारा 114 की उपधारा (2) के खंड (ककक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय बीमा कंपनी (विदेशी विनिधान) नियम, 2015 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय बीमा कंपनी (विदेशी विनिधान) संशोधन नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय बीमा कंपनी (विदेशी विनिधान) नियम, 2015 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 के उपनियम (1) में,-

(i) खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्: -

(च) "प्रत्यक्ष विदेशी विनिधान" (एफडीआई) से गैर-निवासी अस्तित्वों या भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों और अन्य पात्र अस्तित्वों द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 के अधीन किसी भारतीय बीमा कंपनी के इक्विटी शेयरों में विनिधान अभिप्रेत है:

परन्तु इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, प्रत्यक्ष विदेशी विनिधान में विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 के अधीन अनुज्ञेय विदेशी उद्यम पूंजी विनिधानों (एफवीसीआई) द्वारा विनिधान शामिल होगा;";

(ii) खंड (छ) में, "फेमा विनियमन 2000" अक्षरों, शब्दों और अंकों के स्थान पर "विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(iii) खंड (ज) में, "फेमा विनियमन, 2000 के विनियमन के उप-विनियम (2), (2क), (3) और (8)" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(iv) खण्ड (ढ) का लोप किया जाएगा।

3. उक्त नियम के नियम 3 में,-

(क) "कुल विदेशी विनिधान" शब्दों के स्थान पर "प्रत्यक्ष विदेशी विनिधान" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) "ऐसी भारतीय बीमा कंपनी की चुकता इक्विटी पूंजी के चौहत्तर प्रतिशत से अधिक" शब्दों के स्थान पर, "बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) द्वारा नियत ऐसी भारतीय बीमा कंपनी की चुकता इक्विटी पूंजी के ऐसे प्रतिशत से अधिक" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।

4. उक्त नियम में, नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

4". विदेशी विनिधान वाली किसी भारतीय बीमा कंपनी में, उसके बोर्ड के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी में से कम से कम एक निवासी भारतीय नागरिक होगा।"

5. उक्त नियम में नियम 4क का लोप किया जाएगा।

6. उक्त नियम के नियम 5 में, "भारतीय बीमा कंपनी की कुल चुकता इक्विटी का चौहत्तर प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) के अधीन यथा उपबंधित भारतीय बीमा कंपनी का कुल चुकता इक्विटी का ऐसा प्रतिशत" शब्द, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे।

7. उक्त नियमों के, नियम 7 में, "फेमा विनियमन, 2000 के विनियमन 5 के उप-विनियम (2), (2क), (3) और (8) और" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

8. उक्त नियम में, नियम 9 के उपनियम (3) में खण्ड (iii), (v) और (vii) का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 13011/19/2013- बीमा II]

शालिनी पंडित, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** भारतीय बीमा कंपनी (विदेशी विनिधान) नियम, 2015, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (1) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 115(ङ), तारीख 19 फरवरी, 2015 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 534(अ), तारीख 3 जुलाई, 2015, सा.का.नि. 314(अ), तारीख 16 मार्च, 2016, सा.का.नि. 619 (अ), तारीख 2 सितंबर, 2019 और सा.का.नि. 337(अ), तारीख 19 मई, 2021 द्वारा उसमें संशोधन किए गए थे।

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Financial Services)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th December, 2025.

**G.S.R. 928(E).—**Whereas the draft of the Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Amendment Rules, 2025 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R.591(E), dated the 29th August, 2025, inviting suggestions or objections from all persons likely to be affected thereby; and notice was given that the said draft rules would be taken into consideration after the expiry of a period of fifteen days from the date on which the copies of the Gazette notification are made available to the public;

And whereas, the copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 29th August, 2025;

And whereas, the suggestions or objections received in response to the above mentioned draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (aaa) of sub-section (2) of section 114 read with sub-clause (b) of clause (7A) of section 2 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Rules, 2015, namely: —

l. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Amendment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Rules, 2015 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, in sub-rule (1), —

(i) for clause (f), the following clause shall be substituted, namely: —

'(f) "Foreign Direct Investment" (FDI) means the investment by non-resident entities or persons resident outside India and other eligible entities in the equity shares of an Indian Insurance Company under the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019:

Provided that for the purposes of these rules, Foreign Direct Investment shall include investment by Foreign Venture Capital Investors (FVCI) as permissible under the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019;';

(ii) in clause (g), for the letters, word and figures "FEMA Regulation 2000", the words, brackets and figures "the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019" shall be substituted;

(iii) in clause (h), for the words, brackets, figures and letters "sub-regulations (2), (2A), (3) and (8) of regulation of FEMA Regulations, 2000", the words, brackets and figures "the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019" shall be substituted;

(iv) clause (n) shall be omitted.

3. In the said rules, in rule 3, —

(a) for the words "Total Foreign Investment", the words "Foreign Direct Investment" shall be substituted;

(b) for the words "to exceed seventy-four percent of the paid- up equity capital of such Indian Insurance Company", the words, figures and brackets "to exceed such per cent. of the paid- up equity capital of such Indian Insurance Company as stipulated by the Insurance Act, 1938 (4 of 1938)" shall be substituted.

4. In the said rules, for rule 4, the following rule shall be substituted, namely: —

"4. In an Indian Insurance Company having foreign Investment, at least one amongst the Chief Executive Officer, managing director and chairperson of its Board, shall be Resident Indian Citizens.".

5. In the said rules, rule 4A shall be omitted.

6. In the said rules, in rule 5, for the words "seventy-four per cent of the total paid-up equity of the Indian Insurance Company", the words, figures and brackets "such per cent. of the total paid-up equity of the Indian Insurance Company as provided under the Insurance Act, 1938 (4 of 1938)" shall be substituted.

7. In the said rules, in rule 7, for the words, brackets, figures and letters "sub-regulations (2), (2A), (3) and (8) of regulation 5 of FEMA Regulations, 2000 and", the words, brackets and figures "the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019" shall be substituted.

8. In the said rules, in rule 9, in sub-rule (3), clauses (iii), (v) and (vii) shall be omitted.

[F. No. 13011/19/2013-lns.II]

SHALINI PANDIT, Jt. Secy.

**Note :** The Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Rules, 2015 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 115(E), dated the 19th February, 2015 and were subsequently amended by notification numbers G.S.R. 534(E), dated the 3rd July, 2015, G.S.R. 314(E), dated the 16th March, 2016, G.S.R. 619(E), dated the 2nd September, 2019 and G.S.R. 337(E), dated the 19th May, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.12.30 22:36:29 +05'30'